

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न ख : 2416

09 , 2018 प्रश्न त्त

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

2416. श्री हु
f
श्री संजय धेन्ने:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

- (क) देश भर म असंगठित क्षेत्र म राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर एस बी वाई) के अंतगत लाभार्थियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;
- (ख) देश म योजना के अंतगत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी राशि आवंटित को गई और लाभार्थियों द्वारा कुल कितनी राशि उपयोग को गई है;
- (ग) क्या सरकार का आरएसबीवाई के अंतगत प्रदान किए गए बीमा कवर को बढ़ाने का प्रस्ताव है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह;
- (ङ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों म प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आरएसबीवाई के अंतगत कुछ मामलों म कदाचार/अनियमितताओं को शिकायत प्राप्त को ह; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक इन शिकायतों पर क्या कारवाई को गई/जा रही है?

त्त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य त्र (श्री शे)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (बीपीएल) और असंगठित कामगारों को 11 अन्य परिभाषित श्रेणियों नामत: भवन और अन्य निमाण काय म लगे श्रमिकों लाइससधारी रेलवे कुली, रेहणी वालों, मनरेगा से जुडे श्रमिकों (जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 15 दिनों से अधिक काम किया है), बीड़ी उद्योग से जुडे श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों, सफाई कमचारियों, खान मजदूरों, रिकशा

चालकों, कूड़ा बीनने वालों और ऑटों/टैक्सी चालकों को कवर करती है। वर्ष 2016-17 के दौरान आरएसबीवाई के तहत नामांकित किए गए परिवारों को संख्या को राज्य-वार सूची अनुलग्नक-I पर है।

(ख): आरएसबीवाई के तहत निधियों का कोई भी आवंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नहीं होता है। सरकार अपने प्रीमियम का हिस्सा राज्य सरकारों को उनके प्रस्तावों को प्राप्ति पर जारी करती है। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक-II पर है।

(ग) और (घ): माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2018-19 के अपने भाषण में 10 करोड़ से अधिक गरीब व संवेदनशील परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को कवर करने के लिए फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण स्कोम (एनएचपीएस) को शुरू करने की घोषणा की है जिसमें द्वितीयक व तृतीयक हॉस्पिटलाइजेशन हेतु प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रु. तक की कवरेज प्रदान की जाएगी। एनएचपीएस की शुरुआत के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) को उसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा।

(ड.) से (च): पिछले तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान, इस मंत्रालय को आरएसबीवाई के तहत कुप्रथाओं/अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

स्रोत : . 2016-17		
किए गए परिवारों की संख्या		
क्र. .	ज	f f
1	असम	1421104
2	बिहार	7028409
3	छत्तीसगढ़	4146227
4	गुजरात	2691497
5	हिमाचल प्रदेश	480588
6	कनाटक	6206620
7	केरल	2060802
8	मणिपुर	70925
9	मेघालय	256138
10	मिजोरम	194886
11	नगालड	255314
12	ओडिशा	4462959
13	त्रिपुरा	481331
14	उत्तराखंड	285229
15	पश्चिम बंगाल	6290446
		36332475

र ो : . 2016-17		
क्र. .	उ	(रु. म)
1	असम	54.72
2	छत्तीसगढ़	114.09
3	गुजरात	22.34
4	हरियाणा	0.60
5	हिमाचल प्रदेश	12.30
6	कनाटक	45.89
7	केरल	73.29
8	मणिपुर	2.20
9	मेघालय	4.10
10	मिजोरम	14.13
11	ओडिशा	31.70
12	त्रिपुरा	10.83
13	पश्चिम बंगाल	50.47
		436.66